15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर रीवा कैम्प जिला रीवा (म0प्र0)

R-932-I/12

1) रामनिहोर विश्वकर्मा तनय रामखेलावन विश्वकर्मा, उम्र 48 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी सतरी तह0 रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0),

2) पुरूषोत्तमलाल विश्वकर्मा तनय रामखेलावन विश्वकर्मा, उम्र 56 वर्ष, पेशा नौकरी,

3) शिवमंगल विश्वकर्मा तनय रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 50 वर्ष, पेशा नौकरी,

4) राजेन्द्र विश्वकर्मा तनय रामेश्वर प्रसाद उम्र 42 वर्ष, पेशा पारिवारिक व्यवसाय,

5) विनोद विश्वकर्मा तनय रामेश्वर प्रसाद उम्र 38 वर्ष, पेशा व्यवसाय,

सभी निवासी ग्राम सतरी तह0 रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0),

..........................**निगरानीर्ता**

बनाम

1. लालजी तनय भानूराम ब्रा0,
2. चिन्तामणि तनय श्री भानूराम ब्रा0,
3. रमेश कुमार द्विवेदी तनय श्री कौशल प्रसाद द्विवेदी,

सभी निवासी ग्राम सतरी तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0)

................................**गैरनिगरानीकर्ता**

विनोद कुमार शुक्ला
एड0
M-9992825008
28/3/12

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सतना (म.प्र.) प्र.क्र.03/पुनर्विलोकन/10–11 आदेश दिनांक 24.02.2012

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

(15)

निगरानी 932–दो/2012 जिला सतना

रामनिहोर विश्वकर्मा आदि विरूद्ध लालजी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–8–2018	उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण लगभग 8 वर्षो से लंबित है। प्रकरण में अभिलेख प्राप्त है इसलिए प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जा रहा है। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक रामनिहोर ने तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 27/अ–6–अ/05–06 में पारित आदेश निांक 12–5–06 तथा इसके अनुपालन में निष्पादित विकयपत्र के आधार पर नामांतरण पंजी कमांक 07 में पारित आदेश दिनांक 19–7–06 के विरूद्ध पुनर्विलोकन हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी से दिनांक 27–9–10 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 24–2–2012 को आवेदक का पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा स्वयं को प्रश्नाधीन भूमि पर सिकमी कास्तकार होना बताया है परन्तु स्वयं के सिकमी कास्तकार होने को अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में दस्तावेजों से सिद्ध करने में असफल रहा है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में हुये समस्त नामांतरण	

की कार्यवाही का मामला आयुक्त के यहां प्रचलित है जहां उसे अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। इसी कारण अपर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन अनुमति देने से इंकार करते हुये आवेदक का पुनर्विलाकन आवेदन निरस्त किया है। यह विधिक दृष्टि से उचित है कि जब किसी बिन्दु पर वरिष्ठ न्यायालय में मामला लंबित हो तब उसी बिन्दु को किसी निम्न न्यायालय में विचार में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर सतना का आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये तथ्य इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 24–2–2012 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

9/8/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य